न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर।

उपस्थित –श्री अभय कुमार, एच0जे0एस0

जमानत प्रा0पत्र संख्या 5747/2015

असित मित्तल पुत्र के0सी0मित्तल

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ।

<u>आदेश/14–01–2016</u>

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपराध सं0 324/2014 धारा–420,467,468,471,323,504,506,120बी भा0दं0सं0 थाना–सैक्टर–20 नोएडा में जमानत का आवेदन दिया गया है।

मैनें प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा जमानत प्रा0पत्र का अवलोकन किया।

संक्षिप्त अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी को शिवकला चामर्स ग्रेटर नोएडा में फ्लैट नं0 3021 बुक करने जरिये चैक पांच लाख रूपये व एक लाख नगद जमा करने के उपरान्त भी धोखाधडी करके पैसे ले लेना, न फ्लैट देना , न पैसे वापस करना तथा पैसे मांगने पर गाली गलौच , मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी गयी। इस तरह का कृत्य अभियुक्तगण द्वारा काफी लोगो के साथ किया गया तथा कूटरचित दस्तावेजो के माध्यम से लोगो को धोखा दिया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उसको झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। उनके विरूद्ध कोई निष्पक्ष साक्ष्य नहीं है। कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। कोई फर्जी दस्तावेज तैयार नहीं किये है। अभियुक्त प्रश्नगत सोसायटी का न तो सदस्य है और ना ही पदाधिकारी है तथा उसका कोई लेना देना नहीं है। वह तो मात्र निर्माणकर्ता है। अन्य अपराध में उसकी जमानत हो चुकी है। उसका अलग से रोल नहीं दिखाया गया है।कोई धनराशि वादी से उसने नहीं ली है।आरोप–पत्र आ चुका है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान प्रभारी डी0जी0सी0(फौजदारी) द्वारा जमानत प्रा0पत्र का घोर विरोध किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोप है कि उसके द्वारा समय से भवनो का निर्माण नहीं किया गया। विभिन्न लोगो से इनके लिए पैसा लिया गया तथा एक ही फ्लैट कई लोगो को आंवटित कर दिया गया तथा एक ही फ्लैट के लिए कई लोगो से पैसा ले लिया गया तथा एक ही फ्लैट पर कई लोगो के लोन भी पास करा दिये गये। समय से फ्लैट नहीं देने के कारण वादी द्वारा किश्ते रोकने पर उसका नाम सीआईबीआईएल की लिस्ट में डाल दिया गया। इन प्रकरणो की विस्तृत जांच प्रशासन द्वारा भी करायी गयी थी तथा यह पाया गया कि नोएडा प्राधिकरण का पैसा जमा नहीं करने के कारण उनका आवंटन निरस्त हो गया था जिसके कारण संस्था द्वारा कार्य रोक दिया गया था। जांच रिपोर्ट में भी महिम मित्तल एवं एस0यू0जफर को दोषी पाया गया तथा इस सबंध में सूचना भी प्रशासन को प्रदान की गयी। इस प्रशासनिक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से एस0यू0जफर व महिम मित्त, उमेश गर्ग व पूर्व सभापति को उत्तरदायी ठहराया गया है साथ ही साथ समिति के अन्य कर्मचारी/पदाधिकारी भी उत्तरदायी माने गये है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह बहस की गयी है कि उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है और वह मात्र कानट्रैक्टर है जिसके द्वारा निर्माण कार्य किया गया है और पैसा नहीं प्राप्त होने के कारण निर्माण कार्य बन्द हो गया जिसमें उसकी कोई गलती नहीं मानी जा सकती है परन्तु तथ्यो से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त असित मित्तल का भी सम्पूर्ण कार्यो में पूर्ण सहयोग रहा है। वह मुख्य अभियुक्त महिम मित्तल का भाई है और वादी द्वारा स्पष्ट रूप से आरोप उसके विरूद्ध लगाये गये है। तथ्यो से यह भी स्पष्ट है कि बहुत सारे लोगो से पार्टनर बनाकर भी पैसा लिया गया तथा उनके पैसो को भी दुर्विनियोग किया गया तथा उसमें भी प्रार्थी/अभियुक्त शामिल रहा है। इस प्रकार के प्रकरण जनपद गौतमबुद्धनगर में आम है तथा व्यक्तियों से पैसा लेकर उनका निर्माण समय से नहीं किया जाता है तथा पैसे का दुर्विनियोग किया जाता है तथा एक योजना के रहते हुए दूसरी योजना में पैसा प्रथम योजना का लगा दिया जाता है तथा ग्राहको को समय से फ्लैट प्रदान नहीं किये जाते है। इन परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त का यह कृत्य एक गम्भीर प्रकृति का है जिसमें बहुत से लोगो को उनकी धनराशि से तथा बहुतो को उनके भवनों से वंचित होना पड़ा है।

समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए जमानत हेतु पर्याप्त आधार नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रा0पत्र खारिज किया जाता है।

(अभय कुमार)
सत्र न्यायाधीश
गौतमबुद्धनगर।